



कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)
जिला—गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही(छ.ग.) Email ID : wcd.gpm@gmail.com

—: विज्ञापन :—

क्र./1521/मबावि/सखी/2025-26 गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही, दिनांक 19/12/2025

सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं के भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत अम्बेला स्कीम के रूप में योजना "मिशन शक्ति" दिनांक 01.04.2022 से लागू किया गया है। मिशन शक्ति अम्बेला में योजनान्तर्गत दो उपयोजना संबल एवं सामर्थ शामिल है। संबल उपयोजना अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर योजना समिलित है। जिला गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही को संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्र0/10478/मबावि./मसमि/सखी-4/24.25 नवा रायपुर, दिनांक 27.11.2024 द्वारा केन्द्र संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्ति उपरांत विज्ञापन प्रसारित किये थे। शेष रिक्त पदों पर पुनः विज्ञापन जारी किया जाना है।

उक्त पदों हेतु आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से दिनांक 22/12/2025 से दिनांक 05/01/2026 समय सायं 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही(छ0ग0) पता जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पास पेण्ड्रा, पिन कोड 495119 के पते पर आमंत्रित किये जाते हैं।

सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं के भर्ती संबंधी विस्तृत विवरण पृथक से परिशिष्ट-1 में संलग्न है। (उक्त पद केवल महिलाओं के लिए)

(अमित सिन्हा)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही(छ0ग0)

पृ. क्र./1522/मबावि/सखी/2024-25 गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही., दिनांक 19/12/2025

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छ0ग0 शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला—गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग की ओर समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशित करने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जिला गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही को शासकीय वेब साईट [www. https://gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in](https://gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in) में अपलोड करने हेतु।

(अमित सिन्हा)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही(छ0ग0)



कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी
 महिला एवं बाल विकास विभाग (सखी वन स्टॉप सेंटर)
 जिला—गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही (छ.ग.)

// सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं की भर्ती हेतु विज्ञापन //

उक्त पद केवल महिलाओं के लिए

क्र.	सेवा का नाम	सेवा प्रदाता की संख्या	निर्धारित एकमुश्त सेवाशुल्क	अधिक तम आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification)	Rols & Responsibilities
01	Case Worker	01 अ. ज.जा.	18420 / प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> • Any woman having a Bachelor in Law/Social Work/Sociology/Social science/Psychology with at least 3 years' experience of working on women related relevant domains in a Government Government or project/programme. • She should be a resident of the local community so that local human resource and expertise is utilised for effective functioning of the centre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Case Workers will work in service to provide 24 hour at OSC. • She will provide assistance and support to the Centre Administrator in facilitating services to women accessing OSC. • She will intervene in cases of VAW and will take them to their logical conclusion. • She will be responsible for other work as assigned by the Centre Administrator.
02	Para Medical Personnel	01 अना.	18420 / प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> • In the absence of a regular Para Medical Personnel provided by District Health Authorities, the medical assistance service could be outsourced to any woman having professional degree/diploma in paramedics with a background in health sector and preferably with at 	<ul style="list-style-type: none"> • Para Medical Personnel will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. • She will provide first aid and immediate life-saving medical assistance to the aggrieved woman until she reaches the hospital. • She will accompany the woman affected by violence to the Hospital. In cases of women affected by sexual violence, she will ensure strict compliance of the protocols developed by MoHFW to conduct forensic

					least 3 years "experience of working within a Government or NonGovernment health project/programme at the district level.	<ul style="list-style-type: none"> examination and other tests by the Doctors. She will help in drafting the medical case history of the women affected by violence.
03	Psychosocial Counsellor	01 अना.	25780 / प्रतिमाह (लेवल-8)	45 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> The service could be outsourced to any woman having professional degree / diploma in psychology psychiatry / neurosciences with a background in health sector and preferably with at least 3 years" experience of working within Government or NonGovernment health project/ programme at the district level. 	<ul style="list-style-type: none"> She will provide psychological counselling and guidance to the woman affected by violence and support in referral services that may be deemed fit for the women affected by violence based on her needs. She will help draft the case history of the women affected by violence.
04	Multipurpose staff/Cook	अ.ज. जा 02 पद	11720 / प्रतिमाह (लेवल-6)	45 वर्ष	The multi-purpose activity could be outsourced to any person who is literate with knowledge / experience of working in the relevant domain. High School pass or equivalent will be preferred.	<ul style="list-style-type: none"> Multi-purpose Helper will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. She would be responsible for maintaining hygiene and sanitation at OSC. It would be her responsibility to clean the toilets (daily at such frequency which keeps it clean all the time), dispose the garbage, change the bed sheets, pillow covers (weekly) of shelter room She will offer water to the visitors. maintain visitor register, provide information on legal aid/police/medical assistance sheet to the women. She will provide basic Kit containing soap, comb,

						<ul style="list-style-type: none"> shampoo, sanitary pad, tooth brush, tooth paste, diapers (in case of infants) and sewing kit to the woman who is availing the facility of temporary shelter at OSC. She will help any other staff with referrals and do such other ancillary work as requested by the Centre Administrator.
05	Security Guard/ Night Guard	अ.ज. जा 02 पद	11360 / प्रतिमाह (लेवल-1)	45 वर्ष	<ul style="list-style-type: none"> The services could be outsourced to any person who is Passed 8th from any recognized board having at least 2 years" experience of working as security personnel in a government or reputed organization at the district/ state level. He/ she should preferably be retired military / paramilitary personnel. 	<ul style="list-style-type: none"> Security Guard/Night Guard will work in shifts to provide 24 hour service at OSC. The Security Guard/Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. She/he would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.

उपरोक्त पदों हेतु सेवा प्रदाता के लिए नियम व शर्तेः

2. आयु सीमा:-

- 2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु चयन किये जाने वाले वर्ष के 01 जनवरी 2025 को 21वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2.2 आयु के सत्यापन /समर्थन हेतु जन्म प्रमाण पत्र या कक्षा 8वीं या 10वीं की अंकसूची जिसमें अंकतिथि अकित हो के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य है।
- 2.3 पदों पर अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- 2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.5 चयनित अभ्यार्थी को चयन किये जाने के पश्चात् 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें समाप्त की जायेगी।

2.6 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति कार्य है, अतः चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तसंबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण—पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यार्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

2.8 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यार्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.9 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

2.10 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण—पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।

2.11 अनुभव के संबंध में अभ्यार्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण—पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

2.12 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।

2.13 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण—पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

2.14 शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

(टीप :— अनुभव प्रस्तुत करने वाले अभ्यार्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र के परीक्षण हेतु प्राप्त मानदेय/वेतन का बैंक स्टेटमेंट/पे-स्लिप वाचक इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर चयन समिति द्वारा अनुभव को अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.15 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

2.16 प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई—मेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

2.17 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

2.18 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।

2.19 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि.....तक स्वीकार किए जाएंगे।

2.20 कौशल परीक्षा/वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता /अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

2.21 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

2.22 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ता, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।

2.23 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

2.24 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।

3. नियुक्ति प्रक्रिया :- मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DIEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावेगा।

3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत सभी पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।

3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला स्तर पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।

3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मैरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकान हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे—

3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का ५५हीजंहम देते हुए अधिकतम 60 अंक।

3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।

3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रति वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।

3.8 वॉक इन इंटरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।

3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

3.10 छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232 / 1538 / सा / 2024 / 50 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र में एकमुश्त वेतन/सर्विदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इनइंटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश हैं।

3.11 अतः कंडिका 3.10 के आलोक में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवायें समाप्त की गयी हैं अथवा प्रक्रियाधीन हैं यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवाप्रदाताओं की योग्यता, अनुभव के आधार पर इनके अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनके आवेदन को प्राथमिकता दिया जावेगा।

3.12 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 2 के उप कंडिका 2.4, 2.5 एवं 2.6 पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 15 या 1से10 के रेशियों में, जैसा चयन समिति उचित सम्में वॉक-इन-इंटरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी।

4. नियुक्ति की अवधि:-

4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्तिकिया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

4.5 चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

4.6. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायपुर के सूचना पटल व जिले की वेबसाईट [www.https://gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in](https://gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in) पर देखी जा सकती है।

4.7 उक्त विज्ञापन में साईको सोशल काउंसलर, केसवर्कर, पैरा मेडिकल कार्मिक, बहुउद्देशीय कर्मचारी/स्सोईया, सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड के पदों पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

श्री अमित बेक
डिप्टी कलेक्टर
जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

(अमित सिन्हा)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही(छण्गा)

संस्थायक शायुक्त
आदिवासी विकास विभाग
जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

जिला कोषालय अधिकारी
जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

उप संचालक रोजगार
जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
गौरेला



आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला— गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही (छ0ग0)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम्,
पासपोर्ट साईज
रंगीन फोटो

1. आवेदित पद का नाम :—
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :—
3. (अंग्रेजी में) :—
4. पिता / पति का नाम :—
4. जन्मतिथि (अंको में) :—
5. जन्मतिथि (शब्दों में) :—
5. दिनांक 01.01.2025 को आयु :— वर्ष..... माह..... दिन.....
6. लिंग पुरुष / महिला :—
7. जाति / वर्ग (अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. / सामान्य) जाति..... वर्ग
8. स्थायी पता :—
9. पत्र व्यवहार का पता :—
10. दूरभाष / मोबाईल ई मेल आईडी
11. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यत्ता :—
12. यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :—
12. क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? :—
- (तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)





13. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक—पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

15. अनिवार्य संलग्नकों का विवरण :-

1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12 वीं अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नात्कोत्तर की अंकसूची
5. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण—पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. निवास प्रमाण पत्र
8. जाति प्रमाण पत्र





9. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आई.डी. इत्यादि।
10. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिख 10रु0 का डाक टिकट सहित
11. अन्य संलग्नकों का विवरण :-

1.
2.
3.

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठी/असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :-

— 000 —